भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण,सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone 25487245

सं निसेसंप्रनि/प्रवर्तनNo.DCSE/ENFT /E-4470/Circular/2025/310 Date:29/07/2025.

परिपत्र /CIRCULAR

विषय: अणुशक्तिनगर टाउनशिप में व्यावसायिक बैनर और स्टॉल लगाने हेतु लाइसेंस शुल्क - के संबंध मे

Sub: Licence Fee to install Commercial Banner and Stall in Anushaktinagar Township.- Reg

अणुशक्तिनगर के संघों से विभिन्न अवसरों पर अणुशक्तिनगर के अंदर व्यावसायिक बैनर और स्टॉल लगाने की अनुमति के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिनांक 24/04/2024 के पत्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में, इस निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी ने लॉन/खुले स्थान में व्यावसायिक बैनर और स्टॉल लगाने की मंजूरी लाइसेंस शुल्क देय और नियम एवं शर्तो के आधार पर दे दी है।

Many applications are received from the Associations of Anushaktinagar for permission to install commercial banner and stalls inside Anushaktinagar at various occasions. In continuation of guidelines issued vide letter dated 24/04/2024, the Competent Authority of this Directorate has approved for display of Commercial banner and set up of Commercial Stalls in lawns/open space on payment of Licence Fee.

2. लाइसेंस शुल्क की दर और नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं:
The rate of Licence Fee and terms & conditions are as below:

A. वाणिज्यिक बैनर लगाने के लिए लाइसेंस शुल्क /The Licence fee for affixing Commercial banner:-

व्यावसायिक गतिविधियों (गैर-प्रकाशित विज्ञापन) को बढ़ावा देने वाले वाणिज्यिक सामग्री/पाठ वाले बैनरों का प्रदर्शन 1000/- रुपये प्रति बैनर की दर से स्थापित किया जा सकता है। बैनर का अधिकतम आकार 3 वर्ग मीटर तक सीमित और अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए है। बैनर केवल उन्हीं स्थानों पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिनके लिए नीचे " पैरा सी " में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।

Display of banners having commercial contents/texts promoting business activities (non-illuminated advt.) can be installed @Rs.1000/- per banner, limited to maximum size of the banner @3 Square meter for maximum duration of 15days subject to the conditions that banner can be displayed only at the places for which permission has been granted with Terms & Conditions mentioned below at "para C".

...2/-

B. वाणिज्यिक स्टॉल स्थापित करने के लिए लाइसेंस शुल्क (18% जीएसटी सहित)
Licence Fee (including 18% GST) for setting up of Commercial Stalls

विवरण Details	स्टॉल का आकार Size of Stall	लाइसेंस शुल्क प्रतिदिन Licence Fee per day (रु. में)(in Rs.)	%18जीएसटी %9) %9 + सीजीएसटी प्रति दिन (एसजीएसटी 18% GST (9% CGST + 9% SGST) per day रुपये) में((in Rs.)	प्रतिदिन कुल राशि Total Amount per day (में .रु)(in Rs.)
लाइसेंस शुल्क Licence Fee	Upto 5 sqm	500/-	90/-	590/-
	More than 5sqm upto 10 sqm	1000/-	180/-	1180/-
	Beyond 10 sqm	2000/-	360/-	2360/-

C. वाणिज्यिक बैनर/स्टॉल लगाने के लिए नियम एवं शर्तें:
Terms & Conditions For installing Commercial banner/ stall:

i. वाणिज्यिक बैनर/स्टॉल की स्थापना सुरक्षा मंजूरी (बैनर के मामले में सामग्री की सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से प्राप्त की जा सकती है) और संपदा प्रबंधन की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन की जा सकती है।

Commercial Banner/Stall can be set up subject to security clearance (security vetting of the content in case of banner may invariably be obtained) and Administrative approval of Estate Management.

ii. बैनर/स्टॉल लगाने के लिए आवेदन, सुरक्षा मंजूरी और चेक के साथ, बैनर/स्टॉल लगाने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 7 कार्य दिवस पहले प्रवर्तन अनुभाग, संपदा प्रबंधन में प्राप्त होना चाहिए। ऐसा न करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Application for affixing banner/stall should be received along with Security Clearance and Cheque in Enforcement Section, Estate Management at least before a minimum period of 7 working days in advance from the proposed date of placing banner/stall, failing which application will not be entertained.

iii. अनुमति पत्र पर उल्लिखित तिथि तक या उससे पहले बैनर हटा दिए जाने चाहिए, अन्यथा प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

The banners should be removed on or before the date mentioned on the permission letter, failing which a fine of Rs. 500/- per day will be charged/recovered.

iv. आवेदक स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार होगा तथा बैनर/स्टॉल लगाने के कारण साइट पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना/दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतेगा।

The applicant shall be solely responsible and take necessary care to avoid any untoward incident/accident occurring on site due to fixation of banners/stalls.

...3/-

v. सरकारी पहलों के लिए डीएई इकाइयों/पीएसयू/सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए कोई शुल्क नहीं हैं ।
No charges for DAE Units/PSU/Aided Institutions for Government initiatives.

vi. केवल वार्षिक दिवस/गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और रेजिडेंट्स बिल्डिंग एसोसिएशन से लाइसेंस शुल्क वसूलने का मुद्दा, जहां किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा "नो-प्रॉफिट-नो-लॉस" आधार पर अपने सदस्यों तक सीमित निम्नलिखित गतिविधियों के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं, डीएई-मुंबई टाउनशिप प्रबंधन समिति का निर्णय होने तक स्थगित रखा गया है:

The issue regarding charging of Licence Fee from the Residents Welfare Association and Residents Building Association for organizing Annual Day/Republic Day/Independence Day only, where stalls are set up by an employee or his/her family members for the following activities limited to its members with "no-profit-no loss" basis is kept in abeyance till a decision is taken in DAE- Mumbai Township Management Committee:

a. मौज-मस्ती और मनोरंजन गतिविधियाँ।
Fun and Entertainment activities.
b. आबंटिती /उसके परिवार के सदस्यों द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री।
sale of food items made by allottee/his family members.

3. यह वित्त अनुभाग की सहमति और निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the concurrence of Finance and approval of Director, DCSEM.

29.7.2025

(एस.एस. गोंडाणे/ S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासन अधिकारी और संपदा अधिकारी
Chief Administrative Officer and Estate Officer

प्रतिलिपि Copy to:
1. मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच परिचालन हेतु।
Administrative Heads of all DAE units in Mumbai – For circulation among the employees in their unit.
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
3. प्रवर्तन अनुभाग में पंजीकृत और रिकार्ड की गई एआरडब्ल्यूए, एमआरडब्ल्यूए और डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए / बिल्डिंग एसोसिएशन
ARWA/MRWA/WSRWA/Building associations registered and recorded in Enforcement section.
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट /DCSEM website.